फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

हंसराज बनाम रामकुमार वगैरा

विविध निगरानी प्रकरण सं0 62/2013

प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 41 नियम 21 आदेश 47 सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
1 –12–13	प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र वाद रिपोर्ट पेश हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से श्री गुरचरणसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा मय कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया है। नकल प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं0 1 के अधिवकता को दी गई। अप्रार्थी सं0 2 व 3 को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 23–12–13 को पेश हो।	
23/12/13	पत्रावली पेश हुई तलबी व रिपोर्ट हेतु पुन: तलबी की जावे पत्रावली दिनांक 22/1/14 को पेश हो।	3000 23/12/13
22.01.14	प्रार्थी के Ad. उप०। अप्रार्थी सं० एक व दो का नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी सं० एक की ओर से श्री गुरचरण सिंह Ad. ने पूर्व में वकालतनामा एवं कैवियट प्रा० पत्र प्रस्तुत किया हुआ है एवं आज कानूनी रतनराज के संबंध में प्रा० पत्र पेश किया है- नकल प्रार्थी के Ad. को दी जावे। अप्रार्थी सं० 3 का नोटिस पड़ोसी पर तामील करवाया गया है जो विधिवत् तामील नहीं है। प्रार्थी के Ad. अप्रार्थी सं० 3 की तलबी हेतु पुन: नोटिस तलबाना पेश करें। पेश होने पर जारी हो। पत्रावली वास्ते जवाब व बहस प्रा० पत्र दि० 24.2.14 को पेश हो।	

04/3/26

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण
आज अधिवक्ता उपस्थित नहीं आ रहे है।
पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त
है। पत्रावली दिनांक 29.4.26 को पेश हो

28/4/2026 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/6/2026 को पेश हो।

5/6/2026 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 आदेश 47 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 47/2013 अनवानी रामकुमार बनाम सरपंच आदि निर्णय दिनांक 22.11.2013 को निगरानीकर्ता के खिलाफ एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया के विरूद्व पेश किया है। निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रकरण संख्या 47/2013 को पुनः निगरानी प्रकरण संख्या 02/2014 अनवानी हंसराज बनाम रामकुमार आदि दर्ज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 आदेश 47 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर पुनः निगरानी प्रकरण दर्ज किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसंल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तरतीव/तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।

Scanned with OKEN Scanner